F.No. F.1 /92(14)/2023-R-III

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती III अनुभाग

पुनःपरीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीयन विवरण	
पद का नाम	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (रसायन विज्ञान) के पद की एक (अना.-01) रिक्ति।
विज्ञापन सं.	16/2023
रिक्ति सं.	23081605326

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	**(क) शैक्षणिक:** 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित/संगत/संबद्ध विषय में 55% अंकों (या जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ मास्टर डिग्री (रसायन विज्ञान) 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सीआईएसआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) (रसायन विज्ञान) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यापित एसएलईटी/एसईटी (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षण) जैसी समान परीक्षा उत्तीर्ण की हो **अथवा** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर उनके संशोधनों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, पीएच.डी डिग्री (रसायन शासत्र) प्रदान की गई हो, उन्हें इनईटी/एसएलईटी/एसईटी से छूट दी जा सकती है। बशर्ते, 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएच.डी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार, डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:- क) उम्मीदवार को पएच.डी की डिग्री नियमित माध्यम से प्रदान की गई हो; ख) पीएच.डी थीसिस का मूल्यांकन बाहर के कम-से-कम दो परीक्षकों द्वारा किया गया हो; ग) उम्मीदवार की खुली (ओपन) पीएच.डी मौखिक परीक्षा

	आयोजित की गई हो; घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी कार्य से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी कार्य से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों, जिनमें से कम-से-कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए; ङ) उम्मीदवार ने यूजीसी/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित/ समर्थित, सम्मेलन/ सेमिनार में अपने पीएच.डी कार्य पर आधारित कम-से-कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हो। संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त (क) से (ड़) तक की शर्तें पूरी की जा रही हैं। अथवा (ख) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था से पीएच.डी डिग्री। **(ख) <u>अनुभव:</u>** शून्य

अपनाए गए मापदंड	i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन आवेदन में दी गई जानकारी और आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। ii) आवेदनों की संवीक्षा संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की गई है। iii) अध्यापन संबंधी अनुभव लागू किया गया है। iv) संवीक्षा हेतु ऑन-लाइन भर्ती आवेदनों (ओआरए) में किए गए दावों पर ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में विचार किया गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसी सूचना का दावा किया है जो उनकी अ.यो.-क और अध्यापन अनुभव के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य है। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना प्रदान किए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। v) भौतिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री को अनिवार्य

	योग्यता (क) के रूप में स्वीकार किया गया है। vi) प्रशिक्षण अतिथि संकाय, आगंतुक संकाय आदि को मान्य/संगत अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। vii) शोध संबंधी अनुभव को संगत अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। viii) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर तभी विचार किया गया है, यदि उसमें समस्त अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो। ix) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। x) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र, दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। xi) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। **नोटः- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

इस भर्ती मामले का संवीक्षा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 14.06.2024 को अपलोड किया गया था, जिसके द्वारा अस्वीकृत उम्मीदवारों को अपनी अस्वीकृति के संबंध में दिनांक 24.06.2024 तक अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया था।

उम्मीदवारों से नौ ई-मेल प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच की गई है। उपरोक्त उम्मीदवारों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन, शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव संबंधी किए गए दावों की पुनःजांच प्राप्त अभ्यावेदन और आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंडों एवं मानदंडों के सन्दर्भ में की गई है।

अनुक्रमांक 058, 157 एवं 243 को अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था। 157 और 243 ने, उनसे मांगी गई अंकतालिका जमा करा दी है और वे ठीक हैं। अतः उनकी अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है। अनुक्रमांक 058 को जन्म तिथि प्रमाण और नाम में भिन्नता के लिए शपथ-पत्र

जमा करने के लिए अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था। जन्म तिथि प्रमाण ही जमा किया है, जो कि ठीक है। तथापि, नाम में भिन्नता हेतु शपथ-पत्र जमा करने का अनुरोध किए जाने के बावजूद, उसे जमा नहीं करने के कारण अनुक्रमांक 058 को अपूर्ण के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

अनुक्रमांक 049 को अनुभव प्रमाण-पत्र को जमा नहीं करने के कारण अपूर्ण के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था। उम्मीदवार ने अब अनुभव प्रमाण-पत्र जमा कर दिया है, जो कि ठीक है और इसलिए लघूसचीबद्ध किया गया है।

अनुक्रमांक 254 और 281 को एलईसी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है चूंकि उनके ओआरए के अनुसार उनके पास अध्यापन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव नहीं था। वे अब दावा कर रहे है कि उनके पास अपेक्षित अनुभव है। चूंकि उन्होंने अपने संबंधित ऑनलाइन आवेदनों में इसका दावा नहीं किया है, उनके मौजूदा दावे को इस स्तर पर इस मामले के लिए अपनाए गए मापदंड **iv** के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अनुक्रमांक 32, 101, 273 को एलईसी श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है क्योंकि इस मामले की संवीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंड के अनुसार उन्होंने ओआरए में अध्यापन संबंधी अनुभव का दावा नहीं किया है, इसलिए विचाराधीन क्षेत्र से बाहर थे। इस स्तर पर संगत अनुभव के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूंकि भर्ती नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, अध्यापन अनुभव को लागू करने के संबंध में उम्मीदवारों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

रिक्ति विज्ञापनों में "**चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश और अतिरिक्त सूचना**" के भाग 3 में स्पष्ट रूप से उन उपायों के बारे में उल्लेख किया जाता है कि जब किसी पद के लिए अधिक संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उचित सीमा में कम कर सकता है। इसे नीचे पुनःउद्धृत किया जाता है:-

"3. *न्यूनतम अनिवार्य योग्यता:* सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम-से-कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हो। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी **- I:** *निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। "*

टिप्पणी - II: ***प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है:***

(क) "वांछनीय योग्यता (वा.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वांछनीय योग्यता निर्धारित है।"

(ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

(ग) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा संगत क्षेत्र में अधिक अनुभव के आधार पर।

(घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।

(ङ) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखति नहीं है।

(च) भर्ती परीक्षण का आयोजन करके। सामान्यतया अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए भर्ती परीक्षण के अंकों और साक्षात्कार के अंकों का वेटेज 75:25 के अनुपात में दिया जाता है।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हो, सभी का उल्लेख करें।"

संबंधित उम्मीदवारों ने या तो इन अनुदेशों को नहीं पढ़ा है या इसको समझने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए, लघुसूचीबद्ध करने हेतु इनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, प्राप्त सभी ई-मेल/अभ्यावेदनों की जांच करने के पश्चात्, एक और उम्मीदवार को लघुसूचीबद्ध किया गया है और एक उम्मीदवार को, जिसे पहले लघुसूचीबद्ध किया गया था, अब अपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। अन्य दो उम्मीदवारों की अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है। तथापि, अन्य पांच उम्मीदवारों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और औचित्य संतोषप्रद नहीं पाए हैं और ये आयोग के प्रारंभिक निर्णय को संशोधित और परिवर्तित करके इन उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध करने के लिए उपयुक्त एवं विश्वसनीय आधार नहीं हैं। इसलिए, इनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

तदनुसार, संवीक्षा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

संवीक्षा

<u>01 अनारक्षित रिक्ति</u>

<u>मापदंड</u>: अ.यो (क1) + अ.यो (क2) + एक वर्ष या उससे अधिक का अध्यापन संबंधी अनुभव

<u>साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु</u>**:**

<u>अनुक्रमांक</u>**:**

026	049	062	126	148	177
191	243	246	253	282	

(11 उम्मीदवार)

<u>अस्वीकृत</u>

<u>एलईक्यू-'क1'</u>
<u>अनुक्रमांक</u>:
160*

(01 उम्मीदवार)

* एलईसी भी
<u>एलईक्यू-'क2'</u>

अनुक्रमांक:

95

(01 उम्मीदवार)

एलईसी

अनुक्रमांक:

025	033	035	036	040	043	053	066	073	084	097	100	107
117	120	131	134	144	145	153	155	158	165	171	181	182
183	186	190	192	195	203	209	211	212	213	219	218	222
224	228	229	231	235	239	247	254	257	259	267	268	274
276	277	281	291									

(56 उम्मीदवार)

अपूर्ण
अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	041, 159, 284
अनुभव प्रमाण-पत्र में उल्लिखित कार्यों का स्वरूप किए गए दावे से मेल नहीं खाता + पीएच.डी डिग्री प्रदान नहीं की गई	094
एनईटी/ एसएलईटी/एसईटी प्रस्तुत नहीं	149
विभिन्न प्रमाण-पत्रों/ डिग्रियों/ दस्तावेजों में उम्मीदवार/ उम्मीदवार के पिता/ उम्मीदवार की माता के नाम में भिन्नता के संबंध में, मांगे जाने पर भी शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करना	58
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है।	

(06 उम्मीदवार)

शेष आवेदनों को, उनके द्वारा एक वर्ष से अधिक का अध्यापन अनुभव का कोई दावा नहीं करने के कारण **एलईसी (बढ़ाए गए मापदंड में कमी)** श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

(219 उम्मीदवार)

* इस संबंध में आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट में
मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची
में अपलोड की गई है।

संकेतक:

एलईक्यू – क1/क2 - अनिवार्य योग्यता – क1/क2 में कमी।

एलईसी– बढ़ाए गए मापदंड में कमी।

ईसी – अनुभव प्रमाण-पत्र

एनओडी– कार्यों का स्वरूप।

परामर्शदाता/ उप सचिव

किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।